169

CANCELLED — कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE 20 Rs. TWENTY RUPEES — CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्वमण्डल बोर्ड ग्वालियर (म०प्र०)

पुन० प्रकरण क्रमांक R-401-~~[illegible]~~ R-401-I/13

श्री ... पटेल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
02 NOV 2012
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1- श्रीमति मीरा पाठक पत्नी स्व० श्री महेश प्रसाद शर्मा उम्र करीबन 67 साल

2- श्रीमति आशा पाठक धर्मपत्नी लीलाधर दुबे उम्र करीबन 70 साल ,

दोनो निवासी मालदारपुरा , विजय कटपीस के पीछे , जबलपुर ------------ आवेदिकागण

आयु० कार्या० जबलपुर से प्राप्त दि० 21.1.13 जबलपुर ... 182

21.1.13

विरुद्ध

श्रीमति शशि प्रभा जैन पत्नी श्री मुन्नालालजैन उम्र 52 साल निवासी 302 पुरानी चरहाई जबलपुर म०प्र० ------------ अनावेदिका

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व संहिता 1959

28.1.13

आवेदिकागण न्यायालय श्री तहसीलदार जबलपुर द्वारा रा०प्र०क्रमांक 41/अ-6/09-10 पक्षकार श्रीमति शशि प्रभा जैन विरुद्ध श्रीमति मीरा पाठक व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-1-12 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती है

विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष विचारण प्रकरण के संक्षिप्त

तथ्य

-2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-401-एक/13 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। **सदस्य** **<u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u>**	